रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935
No. 92] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

रक्षोपाय महानिदेशालय
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद कर
रक्षोपाय जांच की आरंभिक सूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

[सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत]

विषय:- भारत में बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच की शुरुआत ।

सा.का.नि. 126 (अ).—मेरे समक्ष मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लाट संख्या-10 औद्योगिक क्षेत्र, लोधी माजरा, बद्दी, जिला-सोलन (हिमाचल प्रदेश) से सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत भारत में बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के सम्बधित आयातों द्वारा पहुंचायी जा रही गंभीर क्षति/गंभीर क्षति की चुनौती से बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के घरेलू उत्पादकों की रक्षा करने के लिए भारत में बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए एक आवेदन पत्र दायर किया गया है।

2. घरेलू उद्योग: मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दावा किया है कि वह भारत में बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न का उत्पादन करने वाला एकमात्र उत्पादक है और इसलिए वह कुल घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत उत्पादन करता है और अत: उनको वर्तमान याचिका दायर करने का आधार है ।

3. अंतर्ग्रस्त उत्पाद: वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद ''सभी डेनियर्स एवं वैरायटीज के बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न'' है जिसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 54 के सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 54041100 और 54024400 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आवेदनकर्ता ने दावा किया है कि इस उत्पाद का सामान्यत: ''स्पैनडेक्स'' या ''इलास्टेन'' के रूप में भी उल्लेख किया जाता है। इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न का

निर्माण दो प्रमुख कच्चे माल अर्थात् पाली टेरामिथायलीन ईथर ग्लायकोल एवं मोनो डायफिनायल मिथेन डायसोसाइनेट से किया जाता है और इसका उपयोग डेनिम जीन्स, स्पोर्टस्वीयर, टी-शर्ट्स, शूटिंग्स, मोजे तथा अन्य परिधानों का निर्माण करने के लिए कई अनुप्रयोगों में किया जाता है।

4. **जांच की अवधि (पीआईओ):** चूंकि आवेदक ने इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न का वाणिज्यिक उत्पादन मार्च , 2012में प्रारंभ किया थाबिक्री और क्षमता आदि से संबंधित प्रदान कराए गए ,दइसलिए आवेदक द्वारा उत्पा , के 14-2013 माह और वर्ष 12 के 13-2012 के एक माह तथा वर्ष 12-2011 घरेलू आंकड़े वर्ष नौ माह के हैं। क्षति विश्लेषण के लिए चुनी गई जांच की अवधि वर्ष पर विचार के है जो कि इस तथ्य 14-2013 से 13-2012 था ही नहीं। द के लिए कोई घरेलू उद्योगकि इससे पहले भारत में इस उत्पालिए युक्ति संगत अवधि है क्यों

5. **सूचना का स्रोत:** विचाराधीन उत्पाद के अक्तूबर 2013 ,तक के आयात आंकड़े डीजीसीआई एंड एस कोलकाता से प्राप्त किए गए हैं और विश्लेषण के लिए उन्हीं पर विचार किया गया है। वर्ष से वर्ष 13-2012) 14-2013दिसम्बर 2013 ,तकत किए गए है और इस विभाग ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तु तक के घरेलू आंकड़े (उनका आवश्यक मानी गई सीमा तक सत्यापन कर लिया गया है और क्षति विश्लेषण के लिए इन सत्यापित आंकड़ों पर ही विचार किया गया है।

6. **संवर्धित आयात (समग्र एवं संगत रुप से)** : वेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न का आयात कई देशों से और प्राथमिकत वर्षताईवान और थाईलैंड से किया जाता है। वित्त ,चीन सिंगापुर ,कोरिया ,इसका आयात वियतनाम :) 14-2013 से वर्ष 13-2012दिसम्बर 2013 ,तक तक के दौरान बेअर (इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न का उत्पादन एवं आयात निम्नलिखित है **:** -

वित्त वर्ष	कुल आयात (मी.टन)	अखिल भारत उत्पादन (मी.टन)	घरेलू बिक्रियां (मी.टन)	कुल मांग (मी.टन)	उत्पादन के संबंध में आयात का %
2012-13 (प्रथम तिमाही)	**2488**	**683**	**220**	**2708**	**364**
2012-13(द्वितीय तिमाही)	**2628**	**400**	**293**	**2921**	**657**
2012-13(तृतीय तिमाही)	**2114**	**363**	**351**	**2465**	**582**
2012-13(चतुर्थ तिमाही)	**2111**	**921**	**815**	**2926**	**229**
2013-14(प्रथम तिमाही)	**2428**	**1247**	**931**	**3359**	**195**
2013-14(द्वितीय तिमाही)	**2565**	**1152**	**892**	**3457**	**223**
अक्तूबर,13	**894**				
2013-14(तृतीय तिमाही)	**2682**	**1127**	**670**	**3352**	**238**

आयात वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में 2488 मी.टन से घटकर वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही में 2111 मी.टन रह गए और फिर यह वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 2682 मी.टन (एक्स्ट्रापोलेट करके) हो गया। इसके अतिरिक्त, उसी अवधि के दौरान कुल उत्पादन के संबंध में आयात 364 प्रतिशत से घटकर 229 प्रतिशत और फिर बढ़कर 238 प्रतिशत हो गया । इस प्रकार बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयात ने जब इसकी तुलना अभी हाल ही के विगत से की जाती है तो इसने समग्र रूप से तथा संगत रूप से बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है।

7. **क्षति**: आवेदक ने दावा किया है कि बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के बढ़ते आयातों से बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो रही है तथा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही है जैसा कि निम्नलिखित कारकों से स्पष्ट है:

(क) उत्पादन : यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही तक बढ़ोतरी हुई, परंतु **यह** वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में 1247 मी.टन के उत्पादन की तुलना में घटकर वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में 1127 मी. टन रह गया ।

वित्त वर्ष	अखिल भारत उत्पादन (टन.मी)
2012-13 (प्रथम तिमाही)	683
2012-13 (द्वितीय तिमाही)	400
2012-13 (तृतीय तिमाही)	363
2012-13 (चौथी तिमाही)	921
2013-14 (प्रथम तिमाही)	1147
2013-14 (द्वितीय तिमाही)	1152
2013-14 (तृतीय तिमाही)	1127

(ख) क्षमता उपयोग: अभी हाल ही अवधि में घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जो वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही के 99.8 प्रतिशत था घटकर वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में 90.2 प्रतिशत हो गई।

वित्त वर्षतिमाही/	संस्थापित क्षमता (मी.टन)	प्रयुक्त क्षमता(%)
2012-13 (प्रथम तिमाही)	1250	54.6
2012-13 (द्वितीय तिमाही)	1250	32.0
2012-13 (तृतीय तिमाही)	1250	29.0
2012-13 (चौथी तिमाही)	1250	73.7
2013-14 (प्रथम तिमाही)	1250	99.8
2013-14 (द्वितीय तिमाही)	1250	92.2
2013-14 (तृतीय तिमाही)	1250	90.2

(ग) **घरेलू मांग में बाजार हिस्सात**: -

वित्त वर्षतिमाही/	कुल आयात (टन.मी)	घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	कुल मांग (टन.मी)	बाजार हिस्सा (%)	
				डीआई	आयात
2012-13 (प्रथम तिमाही)	2488	220	2708	9	92
2012-13 (द्वितीय तिमाही)	2628	293	2921	11	90
2012-13 (तृतीय तिमाही)	2114	351	2465	17	86
2012-13 (चौथी तिमाही)	2111	815	2926	39	72
2013-14 (प्रथम तिमाही)	2428	931	3359	38	72

2013-14 (द्वितीय तिमाही)	2565	892	3457	35	74
अक्तूबर,13	894				
2013-14 (तृतीय तिमाही)	2682	670	3352	25	80

घरेलू उत्पादक का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में 9 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में 25 प्रतिशत हो गया और इसी अवधि आयातों का बाजार हिस्सा 92 प्रतिशत से घटकर 80 प्रतिशत हो गया । तथापि, अभी हाल की तिमाहियों में आवेदक का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही में 39 प्रतिशत था घटकर वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में 25 प्रतिशत रह गया और इसी अवधि आयातों का बाजार हिस्सा 72 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया।

(घ) **बिक्री के स्तर में परिवर्तन: –** यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही तक वृद्धि हुई परंतु इसकी बिक्री जो वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में 931 मी.टन थी घटकर वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में 670 मी.टन रह गई। यह स्पष्टत: दर्शाता है कि अभी हाल ही अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

(ड) लाभ/हानि- घरेलू उद्योग द्वारा दावाकृत लाभप्रदायकता निम्न्लिखित है:-

वित्त वर्षतिमाही/	लाभप्रदायकता (रुपये लाख अनुक्रमिक)
2012-13 (प्रथम तिमाही)	-100
2012-13 (द्वितीय तिमाही)	-127
2012-13 (तृतीय तिमाही)	-138
2012-13 (चौथी तिमाही)	-96
2013-14 (प्रथम तिमाही)	-89
2013-14 (द्वितीय तिमाही)	-122
2013-14 (तृतीय तिमाही)	-54

(च) उत्पादकता एवं रोजगार- रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई। उत्पादकता भी वर्ष 2013-14 (की पहली तिमाही तक) बढ़ी है परंतु तब से वर्ष 2013-14 की दूसरी और तीसरी तिमाही में इसके कमी आई ।

वित्त वर्षतिमाही/	उत्पादन (मीटन.)	औसत रोजगार	उत्पादकता प्रति कर्मचारी (टन.मी)
2012-13 (प्रथम तिमाही)	683	221	3.0
2012-13 (द्वितीय तिमाही)	400	230	1.7
2012-13 (तृतीय तिमाही)	363	227	1.5
2012-13 (चौथी तिमाही)	921	236	3.9

2013-14 (प्रथम तिमाही)	1247	249	5.0
2013-14 (द्वितीय तिमाही)	1152	252	4.5
2013-14 (तृतीय तिमाही)	1127	256	4.4

(छ) **मालसूची:-** अधोलिखित तालिक मालसूची का स्तेर दर्शाती है जिसमें वर्ष 2012-13 की (पहली तिमाही) के 477 मी.टन से वृद्धि हुई और यह वर्ष 2013-14 की (तीसरी तिमाही) में 601 मी.टन हो गई जिससे घरेलू उद्योग की अवनति प्रदर्शित होती है।

वित्त वर्षतिमाही/	मालसूची (एमटी)
2012-13 (प्रथम तिमाही)	477
2012-13 (द्वितीय तिमाही)	584
2012-13 (तृतीय तिमाही)	521
2012-13 (चौथी तिमाही)	528
2013-14 (प्रथम तिमाही)	646
2013-14 (द्वितीय तिमाही)	675
2013-14 (तृतीय तिमाही)	601

8. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदनपत्र में तीन वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क तत्काल अधिरोपित करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पादक के बढ़ते आयातों के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग के निष्पादन में गंभीर गिरावट को देखते हुए अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का अनुरोध भी किया है।

9. आवेदन की जांच की गई है और प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के बढ़ते आयातों बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के घरेलू उत्पादकों को क्षति हुई है या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर रही है और आयातों में इस वृद्धि ने उद्योग को अपूरणीय क्षति की है और तदनुसार इस नोटिस के जरिए एक जांच शुरु करने का निश्चय किया गया है।

10. सभी हितबद्ध पक्षकार इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने विचारों से अवगत करा सकते है:—

महानिदेशक (रक्षोपाय)
भाई वीर सिंह साहित्य सदन, द्वितीय तल
भाई वीर सिह मार्ग, गोल मार्केट
नई दिल्ली-110001, भारत
टेलीफेक्सी:- 011-23741542/ 23741537 ई मेल: dgsafeguards@nic.in

12. सभी हितबद्ध पक्षकारों को अलग से सम्बोधित किया जा रहा है।

13. कोई अन्य पक्षकार जो यह चाहता है कि उसे हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जाए अपना अनुरोध इस तरह प्रस्तुत कर सकता है जिससे कि वह इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के अंदर महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास उपर्युक्त पते पर पहुंच जाए।

13. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(7) में दी गई शर्तों के अनुसार इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

[फा. सं. डी-22011/23/2013]

आर.के. सिंगला, महानिदेशक

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS
CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

NOTICE OF INITIATION OF A SAFEGUARD INVESTIGATION

New Delhi, the 28th February, 2014

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

Sub: Initiation of safeguard investigation concerning imports of Bare Elastomeric Filament Yarn into India.

G.S.R. 126 (E).—An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/S Indorama Industries Ltd, Plot No.10, Industrial Area, Lodhi Majra, Baddi, Distt. Solan(H.P.) for imposition of Safeguard Duty on imports of **Bare Elastomeric Filament Yarn** into India to protect the domestic producer of **Bare Elastomeric Filament Yarn** against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of **Bare Elastomeric Filament Yarn** into India.

2. Domestic Industry: M/s. Indorama Industries Ltd, claimed that they are the only producer in India who are producing the Bare Elastomeric filament Yarn in India and hence they account for 100% of total domestic production and thus have the standing to file the present petition.

3. Product Involved: The product under consideration in the present case is "Bare Elastomeric Filament Yarn of all deniers and varieties" classified under Customs Tariff sub-heading nos. 54024400 and 54041100 of Chapter 54 of the Customs Tariff Act, 1975. The applicant claimed that this product is also commonly referred to as "Spandex" or "Elastane**".** Elastomeric filament Yarn is manufactured from two main raw materials, namely Poly Tera Methylene Ether Glycol and Mono Diphenyl Methane Diisocynate and is used in various applications such as denim jeans, Sportswear, T-Shirts, Suitings Socks & other garments.

4. **Period of Investigation (POI):** As the applicant has started the commercial production of Elastomeric filament Yarn in March,2012, the domestic data related to production, sales and capacity etc. provided by the applicant is for one month of the year 2011-12, for 12 months of the year 2012-13 and for nine months of the year 2013-14. The period of investigation selected for injury analysis is 2012-13 to 2013-14 which is a reasonable period considering the fact that prior to this period there was no Domestic Industry for this product in India at all.

5. **Source of information:** The import data for the product under consideration has been received from DGCI&S, Kolkata till October,2013 and same has been taken into consideration for analysis. The domestic data from 2012-13 to 2013-14 (upto Dec.,2013) has been submitted by the domestic industry and same has been verified by on-site visit by the department to the extent deemed necessary and the verified data has been taken into consideration for injury analysis.

6. **Increased Imports (Absolute & in relative terms)**: **Bare Elastomeric Filament Yarn** is imported into India from a number of countries, and primarily from Vietnam, Korea, China, Singapore, Taiwan and Thailand. The imports and production of **Bare Elastomeric Filament Yarn** during financial year 2012-13 to 2013-14(up to Dec,13) remained as under :

Financial Year	Total Imports (MT)	All India Production (MT)	Domestic Sales(MT)	Total Demand(MT)	% of import with respect to production
2012-13(Q1)	2488	683	220	2708	364
2012-13(Q2)	2628	400	293	2921	657
2012-13(Q3)	2114	363	351	2465	582
2012-13(Q4)	2111	921	815	2926	229
2013-14(Q1)	2428	1247	931	3359	195
2013-14(Q2)	2565	1152	892	3457	223
Oct,13	894				
2013-14(Q3)	2682	1127	670	3352	238

The Imports decreased from 2488MT in Q1 of 2012-13 to 2111MT in Q4 of 2012-13 and then increased to 2682MT in Q3(extrapolated) of 2013-14. Further the import with respect to total production decreased from 364% to 229% and then increased to 238% during the same period. Thus imports of **Bare Elastomeric Filament Yarn** have shown an increasing trend in absolute terms as well as in relative terms, when compared to the total production during recent past.

7. **Injury:** The applicant has claimed that the increased imports of **Bare Elastomeric Filament Yarn** has caused and is threatening to cause serious injury to the domestic producers of **Bare Elastomeric Filament** as indicated by the following factors:

(a) **Production:** Though the production of the domestic industry increased upto Q1 of 2013-14, it declined from 1247 MT in Q1 of 2013-14 to 1127 MT in Q3 of 2013-14.

Financial Year	All India Production (MT)
2012-13 (Q1)	683
2012-13 (Q2)	400
2012-13 (Q3)	363
2012-13 (Q4)	921
2013-14 (Q1)	1247
2013-14 (Q2)	1152
2013-14 (Q3)	1127

(b) **Capacity Utilization**: Capacity utilization of the domestic industry has declined in the most recent period, from 99.8% in Q1 of 2013-14 to 90.2% in Q3 of 2013-14.

Financial Year/Quarter	Installed Capacity (MT)	Capacity utilized(%)
2012-13 (Q1)	1250	54.6
2012-13 (Q2)	1250	32.0
2012-13 (Q3)	1250	29.0
2012-13 (Q4)	1250	73.7
2013-14 (Q1)	1250	99.8
2013-14 (Q2)	1250	92.2
2013-14 (Q3)	1250	90.2

(c) **Market share in domestic demand**:.

Financial Year/Quarter	Total Import(MT)	Domestic Sales of DI (MT)	Total Demand (MT)	Market Share(%)	
				DI	Import
2012-13(Q1)	2488	220	2708	9	92
2012-13(Q2)	2628	293	2921	11	90
2012-13(Q3)	2114	351	2465	17	86
2012-13(Q4)	2111	815	2926	39	72
2013-14(Q1)	2428	931	3359	38	72
2013-14(Q2)	2565	892	3457	35	74
Oct,13	894				
2013-14(Q3)	2682	670	3352	25	80

Market share of domestic producer has increased from 9% in Q1 of 2012-13 to 25% in Q3 of 2013-14 and during same period market share of import has decreased from 92% to 80%. However in the recent quarters, market share of the domestic producer has decreased from 39% in Q4 of 2012-13 to 25% in Q3 of 2013-14 and during same period market share of import has increased from 72% to 80% .

(d) **Changes in the level of Sales: -**Though the sales of the domestic industry increased up to Q1 of 2013-14, it declined from 931MT in Q1 of 2013-14 to 670 MT in Q3 of 2013-14. This clearly shows that the domestic industry suffered losses in sales in the recent past.

(e) **Profit/loss –** the profitability claimed by the domestic industry is as under:-

Financial Year/Quqrter	Profitability (Rs. lacs) Indexed
2012-13(Q1)	-100
2012-13(Q2)	-127
2012-13(Q3)	-138
2012-13(Q4)	-96
2013-14(Q1)	-89
2013-14(Q2)	-122
2013-14(Q3)	-54

(f) **Productivity & Employment**— There is increase in the level of employment .The productivity too has been rising till (Q1)2013-14 but has since gone down in Q2 & Q3 of 2013-14.

Financial Year/Quarter	Production (MT)	Avg. Employment	Productivity per employee(MT)
2012-13(Q1)	683	221	3.0
2012-13(Q2)	400	230	1.7
2012-13(Q3)	363	227	1.5
2012-13(Q4)	921	236	3.9
2013-14(Q1)	1247	249	5.0
2013-14(Q2)	1152	252	4.5
2013-14(Q3)	1127	256	4.4

(*g*) **Inventory**— The table below depicts the inventory levels which have witnessed a surge from 477 MT (Q1) 2012-13 to 601 MT (Q3) 2013-14 reflecting the plight of the domestic industry.

Financial Year/Quarter	Inventory (MT)
2012-13 (Q1)	477
2012-13 (Q2)	584
2012-13 (Q3)	521
2012-13 (Q4)	528
2013-14 (Q1)	646
2013-14 (Q2)	675
2013-14 (Q3)	601

8. The domestic industry has requested for immediate imposition of safeguard measures for a period of three year in their application. The domestic industry has also requested for imposition of provisional safeguard duty in view of steep deterioration in performance of the domestic industry as a result of increased imports of product under consideration.

9. The application has been examined and it has been found that prima facie increased imports of Bare Elastomeric Filament Yarn have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic producers of Bare Elastomeric Filament Yarn and such increase in imports has caused irreparable damage to the domestic industry and accordingly, it has been decided to initiate an investigation through this notice.

10. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to:

The Director General (Safeguards)
Bhai Vir Singh Sahitya Sadan: 2nd Floor,
Bhai Vir Singh Marg,
Gole Market, New Delhi-110 001, INDIA.
Telefax: 011-23741542/ 23741537
E-mail: dgsafeguards@nic.in

11. All known interested parties are also being addressed separately.

12. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General (Safeguards) on the aforementioned address within 15 days from the date of this notice.

13. In terms of Rule 6(7) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by the other interested parties after the expiry of 30 days from the date of this notice.

[F. No. D-22011/23/2013]
R. K. SINGLA, Director General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054